रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2011/वैशाख 15, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 27
No. 78] DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2011/VAISAKHA 15, 1933 [N.C.T.D. No. 27

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च-शिक्षा निदेशालय

आदेश

दिल्ली, 5 मई, 2011

सं. फा. डीएचई-4(61)/2010-11/292.—दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान (प्रति व्यक्ति शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश का विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा समानता तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उप-धारा (जी) के अनुवर्तन फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा संचालित करने तथा सहबद्ध संस्थाओं में प्रवेश हेतु परामर्श देने के लिये उपरोक्त विश्वविद्यालय को 'मनोनीत एजेंसी' नियुक्त करती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आनन्द प्रकाश, प्रधान सचिव

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

ORDER

Delhi, the 5th May, 2011

F. No. DHE-4(61)/2010-11/292.—In pursuance of clause (g) of Section 3 of 'The Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007' (Delhi Act 8 of 2007), the Government of N.C.T. of Delhi hereby appoints Guru Gobind Singh Indraprastha University as the 'designated agency' for conducting Common Entrance Test and counseling for admissions in the Institutions, affiliated to the said University.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANAND PRAKASH, Pr. Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2011

फा. सं. 4/15/2006/श.वि./4409.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 391 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ एवं पूर्व प्रकाशन के उपरांत न.दि.न.पा. परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम, 44) की तृतीय अनुसूची की तालिका के नीचे व्याख्या सहित वर्णित धारा 388 की उप-धारा (1) में विविध मामलों से संबंधित उप-नियमों के शीर्ष के अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित उप-नियमों को एतद्द्वारा निम्न प्रकार प्रकाशित किया जाता है, यथा—

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (सिनेमा थियेटर का वर्गीकरण) उप-नियम, 2011

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भन.—(1) ये उप-नियम "नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (सिनेमा थियेटर का वर्गीकरण) उप-नियम-2011" के नाम से जाने जायेंगे ।

(2) ये उप-नियम दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषा.—इन उप-नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "सिनेमा" में कोई ऐसा भवन जिसमें चलचित्रों अथवा चलचित्रों की शृंखला के प्रस्तुतीकरण हेतु किसी साधन-उपकरण का उपयोग किया जाता है, सम्मिलित है; तथा

(ख) "थियेटर" में सामान्यत: पंक्तिबद्ध सीटों का कक्ष या भवन अथवा नाटक दिखाने हेतु एक खुला स्थान सम्मिलित है ।

3. सिनेमा थियेटर का वर्गीकरण.—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम, 44) की तृतीय अनुसूची के प्रयोजनार्थ, नई दिल्ली में सभी सिनेमा, थियेटरों को प्रथम श्रेणी के सिनेमा, थियेटरों के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम से एवं उनके आदेशानुसार,

सुभाष चन्द्रा, अतिरिक्त सचिव (एमबी)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2011

F. No. 4/15/2006/UD/4409.—The following Bye-Laws made by the New Delhi Municipal Council under the Heading "Bye-Laws relating to Miscellaneous Matters in sub-section (1) of Section 388 read with Explanation below the table of the Third Schedule to the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi and in pursuance of provisions of Section 391 of the said Act, are hereby published as under, namely :—

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (CLASSIFICATION OF CINEMA THEATRES) BYE-LAWS, 2011

1. Short title and commencement.—(1) These Bye-Laws may be called the New Delhi Municipal Council (Classification of Cinema Theatres) Bye-Laws, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definition.—In these bye-laws unless the context otherwise requires,—

(a) "cinema" includes any building in which any apparatus for the presentation of moving pictures or series of pictures is used; and

(b) "theatre" includes a structure in open air for showing drama, or a building or room usually with tiered seats.

3. Classification of Cinema Theatres.—For the purposes of the Third Schedule to the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (Act 44 of 1994), all cinema theatres in New Delhi shall be classified as Class-I cinema theatres.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SUBHASH CHANDRA, Addl. Secy. (MB)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.